भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1034
08 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

डीडीए के दिशानिर्देश

1034. **श्री राजा अमरेश्वर नाइक:**
श्री भोला सिंह:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली में डीडीए फ्लैट्स और सहकारी समूह आवासीय समिति (सीजीएचएस) फ्लैट्स में बालकनी के विस्तार के लिए कोई दिशानिर्देश/नियम और विनियम जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो डीडीए द्वारा मौजूदा डीडीए/सीजीएचएस फ्लैट्स में अतिरिक्त फ्लोर/कमरा/बालकनी/स्थायी शेड्स के विस्तार करने के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के विरुद्ध कार्रवाई की है;

(ग) क्या डीडीए को सीजीएचएस सोसायटियों के पुनर्विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो गत पाँच वर्षों के दौरान इस प्रकार प्राप्त अनुमोदित और अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अंतिम मास्टर प्लान दिल्ली 2041 (एमपीडी 2041) को अनुमोदित किया है और डीडीए इसके कार्यान्वयन के लिए एमपीडी 2041 को जल्द ही लॉन्च करने का विचार कर रही है; और

(ङ.) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान पूरे दिल्ली में अतिक्रमित भूमि खंड को हटाने के लिए डीडीए द्वारा उठाए गए कदमो सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख) : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 (एमपीडी-2021) की शर्तों के अनुसार, सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटीज (सीजीएचएस) फ्लैटों की मौजूदा आवासीय इकाइयों में निर्धारित विकास नियंत्रण मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन किए जा सकते हैं, जिनमें बालकनी का विस्तार भी शामिल किया जा सकता है। डीडीए ने आगे बताया है कि डीडीए फ्लैटों में अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन की अनुमति और नियमितीकरण के लिए नीति मौजूद है।

(ग): डीडीए ने सूचित किया है कि पिछले 05 वर्षों में डीडीए की ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली पर सहकारी समूह हाउसिंग सोसायटी के पुनर्विकास से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): दिल्ली मास्टर प्लान-2041 (एमपीडी-2041) के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ): डीडीए ने सूचित किया है कि डीडीए की भूमि पर अतिक्रमण हटाने और उसकी सुरक्षा तथा उसके उपयोग के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। इन अनुदेशों के अनुपालन में, डीडीए के विभिन्न विभाग जैसे भूमि प्रबंधन, बागवानी, इंजीनियरिंग और आयोजना विभाग स्वतः संज्ञान लेकर अथवा जनता से प्राप्त शिकायतों के आधार पर विध्वंस/अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्यवाही करते हैं। ये विध्वंस/अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्यवाही निर्धारित दिशानिर्देशों/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार अत्यधिक ध्यानपूर्वक की जाती है।